


हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रावर्षी उपस्थित। चैरोकार
सरकार अनुपस्थित। वकील अप्रावर्षी द्वारा जवान प्रा. पत्र धारा
212 RT Act, 1955 व प्रा. पत्र अंतर्गत धारा 151 का प्रस्तुत
किया गया जिसे शा. सि. किया गया। बहस प्रा. पत्र धारा 151 CPC
सुनी गई। प्रावर्षी द्वारा वादग्रस्त शान्तदारी कृषि का गू-रूपान्तरण
करवाने हेतु प्रा. पत्र प्रस्तुत किये जाने का सशपथ रूपान्तरण किया
गया है जिसे उनके द्वारा सक्षम स्तर पर अंतरिम स्वयं
आदेश दिनांक 08.11.23 के कारण लंबित होना बताया गया है।
प्रावर्षी द्वारा निवेदन किया गया कि उक्त प्रक्रिया स्वयं
के हटने उपरांत ही पूर्ण की जा सकती है। अतः न्यायालय
द्वारा प्रा. पत्र धारा 151 CPC न्यायहित में स्वीकार किया जाता है
व अंतरिम आदेश दिनांक 08.11.23 निरस्त किये जाने योग्य है।
नहसीलपाट, बलबट नदुन्या अंतरिम स्वयं आदेश दिनांक
08.11.23 का इंद्रज नोट समावंधी से हटाफ करे।

इसके उपरांत बहस प्रा. पत्र धारा 212 RT Act, 1955 पर सुनी
गई। पत्रावली, पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेज व बिधि के सुसंगत
प्रावधानों का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया।
प्रा. पत्र धारा 212, RTA, 1955 संश्लित ना होने पर रगड़ित किया
जाता है। यह निर्णय सुले न्यायालय में सुनाया गया। निरस्त
आदेश पृथक से टंकित करवाया गया व शा. सि. किया गया। पत्रावली
फैसल शुमार हो दर्ज नंबर से कम होकर दारिजल दफ्तर हो।


उपस्थंड अधिकारी
अलवर